

गोपाल कृष्ण पिल्ले
टेलीफोन-23092989
फैक्स-23093003



गृह सचिव
HOME SECRETARY
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक 14 सितम्बर, 2009

अपील

14 सितम्बर, 1949 को भारत की संविधान-सभा ने हिन्दी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी-दिवस मनाया जाता है।

2. हिन्दी भाषा राष्ट्रीय पहचान और एकता की मज़बूत कड़ी के रूप में लगातार विशेष भूमिका निभाहती आ रही है। हमारे विशाल बहु आयामी और बहु भाषी राष्ट्र के नागरिकों को एक मंच पर लाने में सम्पर्क-भाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग का अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। आज इस रूप में हिन्दी-भाषा, रेडियो, टेलीविजन, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, विज्ञापनों जैसे विभिन्न सम्पर्क-माध्यमों और विशेष रूप से चल-चित्रों तथा संसद जैसे महत्त्वपूर्ण मंचों पर प्रतिष्ठा अर्जित करके व्यावसायिक जगत् में भी अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी है। देश के हरेक भाग में लोगों द्वारा इसे आम बोल-चाल के लिए अपनाया जा रहा है।

3. इस परिप्रेक्ष्य में, हम अपने मंत्रालय में 14 सितम्बर से 13 अक्टूबर, 2009 तक हिन्दी-माह मना रहे हैं। इस माह के दौरान इस मंत्रालय के सभी कार्मिकों में हिन्दी के प्रति और अधिक रुचि जगाने तथा उन्हें अपना अधिक से अधिक काम-काज मूल रूप से हिन्दी में करने के प्रति प्रेरित करने के प्रयोजन से विभिन्न हिन्दी-प्रतियोगिताओं, हिन्दी-कार्यशाला और हिन्दी के एक प्रतिष्ठित विद्वान के व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है।

4. राजभाषा के रूप में हिन्दी का इष्टतम प्रयोग किए जाने के लिए बनाए गए अधिनियम, नियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करते हुए, हमें अपने काम-काज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अब कम्प्यूटरों और अन्य उपकरणों की उपलब्धता के फलस्वरूप हिन्दी में कार्य करना पहले से और अधिक सरल हो गया है। यह हर्ष का विषय है कि सरकारी काम-काज हिन्दी में किए जाने में लगातार प्रगति हो रही है और हमें यह देखना है कि इसे और आगे कैसे बढ़ाया जाए।

5. हिन्दी-दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मेरी यह पुरजोर अपील है कि हम सब मिल कर एक ऐसा वातावरण बनाएं, जिसमें हम सब अपना अधिक से अधिक काम-काज हिन्दी में करें तथा हिन्दी से इतर भाषा-भाषी कार्मिकों को इस दिशा में और अधिक प्रेरित तथा प्रोत्साहित करें।

गोपाल कृष्ण पिल्ले
(गोपाल कृष्ण पिल्ले)

1. गृह-मंत्रालय/ राजभाषा-विभाग/ न्याय-विभाग के सभी अधिकारी/ डेस्क/ अनुभाग।
2. गृह-मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय।
3. सभी संघ-राज्य-क्षेत्र-प्रशासन।